

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 48

## परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2003-2004			संशोधित, 2003-2004			बजट, 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	4930.00	24.52	4954.52	4700.00	24.52	4724.52	5500.00	24.77	5524.77	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	<b>4930.00</b>	<b>24.52</b>	<b>4954.52</b>	<b>4700.00</b>	<b>24.52</b>	<b>4724.52</b>	<b>5500.00</b>	<b>24.77</b>	<b>5524.77</b>	
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं परिवार कल्याण	2251	...	3.52	3.52	...	3.52	3.52	...	3.60	3.60
2. निदेशन और प्रशासन	2211	6.45	4.35	10.80	5.41	4.35	9.76	6.03	4.40	10.43
	3601	180.07	...	180.07	180.07	...	180.07	194.06	...	194.06
	3602	11.00	...	11.00	8.34	...	8.34	8.71	...	8.71
जोड़-निदेशन और प्रशासन		<b>197.52</b>	<b>4.35</b>	<b>201.87</b>	<b>193.82</b>	<b>4.35</b>	<b>198.17</b>	<b>208.80</b>	<b>4.40</b>	<b>213.20</b>
परिवार कल्याण सेवाएं										
3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	2211	4.53	...	4.53	2.72	...	2.72	3.43	...	3.43
	3601	1557.15	...	1557.15	1557.57	...	1557.57	1527.46	...	1527.46
	3602	1.82	...	1.82	1.15	...	1.15	1.82	...	1.82
जोड़		<b>1563.50</b>	...	<b>1563.50</b>	<b>1561.44</b>	...	<b>1561.44</b>	<b>1532.71</b>	...	<b>1532.71</b>
4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.46	...	0.46	0.46	...	0.46	0.58	...	0.58
	3601	110.51	...	110.51	110.51	...	110.51	114.82	...	114.82
	3602	8.53	...	8.53	5.14	...	5.14	5.60	...	5.60
जोड़		<b>119.50</b>	...	<b>119.50</b>	<b>116.11</b>	...	<b>116.11</b>	<b>121.00</b>	...	<b>121.00</b>
5. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना	2211	448.87	...	448.87	316.22	...	316.22	483.94	...	483.94
	3601	261.39	...	261.39	125.03	...	125.03	222.87	...	222.87
	3602	2.15	...	2.15	1.10	...	1.10	3.70	...	3.70
जोड़		<b>712.41</b>	...	<b>712.41</b>	<b>442.35</b>	...	<b>442.35</b>	<b>710.51</b>	...	<b>710.51</b>
6. टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियो का उन्मूलन	2211	185.45	...	185.45	289.45	...	289.45	381.45	...	381.45
	3601	507.25	...	507.25	461.00	...	461.00	782.00	...	782.00
	3602	9.30	...	9.30	12.75	...	12.75	22.95	...	22.95
जोड़		<b>702.00</b>	...	<b>702.00</b>	<b>763.20</b>	...	<b>763.20</b>	<b>1186.40</b>	...	<b>1186.40</b>
7. मातृत्व लाभ योजना जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं	2211	67.50	...	67.50	40.00	...	40.00	101.00	...	101.00
		<b>3164.91</b>	...	<b>3164.91</b>	<b>2923.10</b>	...	<b>2923.10</b>	<b>3651.62</b>	...	<b>3651.62</b>
8. परिवहन	2211	0.30	0.24	0.54	0.15	0.24	0.39	0.15	0.24	0.39
	3601	48.80	...	48.80	61.95	...	61.95	49.45	...	49.45
	3602	0.40	...	0.40	0.90	...	0.90	0.40	...	0.40
जोड़-परिवहन		<b>49.50</b>	<b>0.24</b>	<b>49.74</b>	<b>63.00</b>	<b>0.24</b>	<b>63.24</b>	<b>50.00</b>	<b>0.24</b>	<b>50.24</b>
9. मुआवजा	2211	4.20	...	4.20	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
	3601	172.96	...	172.96	172.96	...	172.96	195.15	...	195.15
	3602	7.30	...	7.30	4.77	...	4.77	3.00	...	3.00
जोड़-मुआवजा		<b>184.46</b>	...	<b>184.46</b>	<b>179.23</b>	...	<b>179.23</b>	<b>200.15</b>	...	<b>200.15</b>
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
10. सूचना, शिक्षा और संचार	2211	95.59	2.40	97.99	101.78	2.40	104.18	106.89	2.47	109.36
11. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन	2211	46.98	14.01	60.99	44.39	14.01	58.40	56.71	14.06	70.77
	3601	95.41	...	95.41	83.77	...	83.77	90.05	...	90.05
	3602	0.53	...	0.53	0.36	...	0.36	0.25	...	0.25
जोड़		<b>142.92</b>	<b>14.01</b>	<b>156.93</b>	<b>128.52</b>	<b>14.01</b>	<b>142.53</b>	<b>147.01</b>	<b>14.06</b>	<b>161.07</b>
जोड़-शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		<b>238.51</b>	<b>16.41</b>	<b>254.92</b>	<b>230.30</b>	<b>16.41</b>	<b>246.71</b>	<b>253.90</b>	<b>16.53</b>	<b>270.43</b>
12. अन्य सेवाएं और आपूर्ति										
12.01 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण	2211	0.75	...	0.75	0.70	...	0.70	0.84	...	0.84
	3601	162.30	...	162.30	150.42	...	150.42	90.49	...	90.49
	3602	5.85	...	5.85	5.65	...	5.65	3.67	...	3.67
जोड़		<b>168.90</b>	...	<b>168.90</b>	<b>156.77</b>	...	<b>156.77</b>	<b>95.00</b>	...	<b>95.00</b>

सं.48/ परिवार कल्याण विभाग

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2003-2004			संशोधित, 2003-2004			बजट, 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12.02 वाणिज्यिक वितरण	2211	118.80	...	118.80	141.80	...	141.80	200.00	...	200.00
12.03 संभारतंत्र सुधार	2211	0.90	...	0.90	0.20	...	0.20	2.00	...	2.00
12.04 क्षेत्र परियोजनाएं	2211	60.22	...	60.22	33.98	...	33.98	59.01	...	59.01
	3601	6.28	...	6.28	4.62	...	4.62	4.00	...	4.00
	जोड़	66.50	...	66.50	38.60	...	38.60	63.01	...	63.01
12.05 बंधीकरण विस्तर	3601	1.92	...	1.92	1.93	...	1.93	1.95	...	1.95
	3602	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03	0.05	...	0.05
	जोड़	1.97	...	1.97	1.96	...	1.96	2.00	...	2.00
12.06 अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	2211	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70
12.07 स्कैलपेल रहित वैसेक्टोमी	2211	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	2.92	...	2.92
12.08 अन्य योजनाएं	2211	1.00	...	1.00	0.75	...	0.75	1.00	...	1.00
12.09 नए उपक्रम-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति	2211	200.08	...	200.08	241.52	...	241.52	157.90	...	157.90
12.10 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण	2211	40.00	...	40.00	55.00	...	55.00	60.00	...	60.00
13. उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	2552	493.00	...	493.00	470.00	...	470.00	550.00	...	550.00
<b>जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां</b>		<b>1095.10</b>	...	<b>1095.10</b>	<b>1110.55</b>	...	<b>1110.55</b>	<b>1135.53</b>	...	<b>1135.53</b>
14. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	170.00	...	170.00	...	155.00	155.00	...	130.00	130.00
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	3606	-170.00	...	-170.00	...	-155.00	-155.00	...	-130.00	-130.00
सहायता सामग्री और उपस्कर	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल-जोड़</b>		<b>4930.00</b>	<b>24.52</b>	<b>4954.52</b>	<b>4700.00</b>	<b>24.52</b>	<b>4724.52</b>	<b>5500.00</b>	<b>24.77</b>	<b>5524.77</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय*</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. परिवार कल्याण	22211	4437.00	...	4437.00	4230.00	...	4230.00	4950.00	...	4950.00
2. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	493.00	...	493.00	470.00	...	470.00	550.00	...	550.00
	<b>जोड़</b>	<b>4930.00</b>	...	<b>4930.00</b>	<b>4700.00</b>	...	<b>4700.00</b>	<b>5500.00</b>	...	<b>5500.00</b>

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2010 तक प्रजनन की प्रतिस्थापन दर और वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को हासिल करने की परिकल्पना की गई है। ये लक्ष्य गर्भ-निरोधक की पूरी न की गई जरूरतों को पूरा करके, टीकाकरण के तहत गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को सार्वभौमिक तौर पर शामिल करके तथा संस्थागत एवं सुरक्षित प्रस्ताव के अनुपात में सुधार लाकर हासिल किए जाने हैं।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों तथा उनके लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **निदेशन और प्रशासन:** परिवार कल्याण विभाग का तकनीकी स्कन्ध परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक और नीति विषयक मार्गदर्शन प्रदान करता है और मुख्यालय में आयोजना, परिवीक्षण, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक परिवार कल्याण एकक की स्वीकृति दी गई है। राज्य और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो परिवार कल्याण संगठन के एक भाग के रूप में विद्यमान है।

3. **ग्रामीण उप-केन्द्र:** निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंख्या (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी उप-केन्द्र (1,37,311) दिनांक 1.4.2002 से परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे हैं।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं:** शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। वर्तमान में 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 871 स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

5. **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम:** सीएसएसएम कार्यक्रम में की जा रही गतिविधियों को मजबूत बनाने तथा विस्तृत करने के अलावा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं को मजबूत बनाना तथा उन्हें नई दिशा प्रदान करना है। सेवाओं के इस पैकेज को व्यापक बनाकर इसमें नैदानिक, जननांग संक्रमण/यौन संचारी संक्रमणों का प्रबंध भी शामिल कर दिया गया है।

6. **टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना तथा पोलियो का उन्मूलन:** चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए।

7. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना:** इस योजना के लिए वर्ष 2004-2005 के दौरान 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

8. **परिवहन:** इस तथ्य को मानते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न स्तरों पर वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों के अनुसंधान के लिए सहायता दी जा रही है।

9. **क्षतिपूर्ति:** बंध्य विधियों (बन्धीकरण) को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति तथा भोजन, मरहम पट्टी, दवाइयों, परिवहन आदि की लागतों को पूरा करने के लिये।

10. **सूचना, शिक्षा और संचार:** सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का कार्यान्वयन आर.सी.एच. तथा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किया जाता है।

11. **प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन:** परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हताप्राप्त, प्रशिक्षित एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस स्वरूप को देखते हुए कि एक भी असन्तुष्ट ग्राही का कार्यक्रम पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त एवं पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया ही जाना चाहिए। इसीलिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को समुचित महत्व दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, ए.एन.एम. और एम.पी.डब्ल्यू प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी सुव्यवस्थित संस्थाएं भी शामिल हैं।

## 12. अन्य सेवाएं और आपूर्तियां:

12.1 और 12.2 **गर्भ निरोधकों का निःशुल्क और वाणिज्यिक वितरण:** इस तथ्य को स्वीकृत करते हुए कि प्रजनन आयु सीमा में अधिकाधिक संख्या में युवा-युगल प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बन्धीकरण जैसी परिवार नियोजन की पद्धतियों को अपनाने की कालत नहीं की जा सकती। युवा युगलों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए स्थानों की गोलियां, निरोध, कापर-टी आदि जैसे परिवार नियोजन करने के विभिन्न गर्भ निरोधकों की कार्यक्रम के तहत पेशकश की गई है। अब तक सामाजिक विपणन कार्यक्रम पर जोरदार शहरी प्रवृत्ति है। इस कार्यक्रम के लाभों को गांवों, गन्दी बस्तियों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने को ध्यान में रखते हुए तथा गर्भनिरोधकों, ओ.आर.एस. तथा सैनीटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ाने के लिए सामाजिक विपणन परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत, बेरोजगार युवाओं को जिनका सामाजिक विकास की ओर रुझान है और जिन्हें ग्रामीण समुदाय का ज्ञान है, को ब्लाक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा गर्भनिरोधकों के वितरण और संवर्धन में लगाया जाएगा।

12.3 **संभार-तंत्र सुधार:** यह योजना राज्यों में दवाओं, टीका-द्रव्यों, गर्भ-निरोधकों की प्राप्ति, भण्डारण और वितरण की संभरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए है।

12.4 **क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहां राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मूल्य-पद्धतियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है और इसलिए सभी राज्यों के लिए एक समान आधारभूत संरचना का सुझाव नहीं दिया जा सकता। देश के पहचाने हुए कतिपय पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं मुहैया कराने की पद्धति में सुधार करने के लिए, जिससे राष्ट्रीय औसत के समतुल्य उनका विकास जल्दी हो सके, क्षेत्रीय परियोजनाएं, विदेशी अभिकरणों से आंशिक सहायता द्वारा शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, भवन, वाहन, प्रशिक्षण आदि के रूप में अतिरिक्त निविष्टियां प्रदान की जाती हैं।

12.5 **बन्धीकरण विस्तर:** इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार कार्य-निष्पादन के आधार पर योजना के तहत आरक्षित विस्तरों के रस्सरसाव हेतु भुगतान के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं।

12.6 **अन्तर्राष्ट्रीय अंशदान:** इस योजना के अंतर्गत यूएनएफपीए, आईसीओएमपी, इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अंशदान करने के लिए 1.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

12.7 **"स्कैलपेल-रहित वैसेक्टॉमी":** पुरुषों के लिए गर्भनिरोध हेतु सर्वाधिक कारगर तरीका है।

12.8 **अन्य स्कीमों:** बैठकों/सम्मेलनों इत्यादि के लिए।

12.9 **नए उपाय और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति:** जैसाकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निहित है, सामुदायिक प्रोत्साहन योजना, परिवार कल्याण से संबद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना, सेवाओं का समामेलन, अधिकार-सम्पन्न कार्यदल, जैसे नए उपायों के लिए प्रावधान किया गया है।

12.10 **उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण:** 10 वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 5.4 से घटा कर 4.0 करने और दम्पति सुरक्षा दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए यू.एस.एड. की 10 वर्षीय परियोजना के लिए एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

13. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था:** परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।

14. **सहायता सामग्री और उपस्कर:** प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें टीकाकरण भी शामिल है, के लिए यूनिसेफ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वस्तुरूप में 130 करोड़ रुपए मूल्य की अनुदान सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

15. **विदेशी सहायता-प्राप्त घटक:** परिवार कल्याण कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के विदेशी सहायता-प्राप्त घटक के लिए 1987.53 करोड़ रुपए का निम्नानुसार प्रावधान करने का प्रस्ताव है:

1. आरसीएच कार्यक्रम जिसमें पोलियो का उन्मूलन और टीकाकरण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण शामिल है (1866.02 करोड़ रुपए)
2. क्षेत्र विकास कार्यक्रम:
  - (क) क्षेत्र परियोजनाएं (आईपीपी परियोजनाएं 52.01 करोड़ रुपए)
  - (ख) सामाजिक विपणन - क्षेत्र परियोजनाएं (9.50 करोड़ रुपए)
3. यूएसएड से सहायता-प्राप्त क्षेत्र परियोजना (एसआईएफपीएसए) 60 करोड़ रुपए।